असम में हिंसा, मौके पर आरएएफ तैनात और इंटरनेट बंद - 7

बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर चार माह के उच्चतम स्तर 3.7 प्रतिशत पर - 10

ग्रीनलैंड पर शुल्क की धमकी से ट्रंप की विश्वसनीयता पर उठे सवाल - 11

न्यूजीलैंड से वनडे का हिसाब चुकता करने उतरेगा भारत - 12

आज का मौसम

22.0° अधिकतम तापमान

8.0° न्यूनतम तापमान

सूर्योदय 07.05

सूर्यास्त 05.43

एक सम्पूर्ण दैनिक अखबार

अमृत विचार

बरेली

www.amritvichar.com

2 राज्य | 6 संस्करण

लखनऊ ■ बरेली ■ कानपुर ■ मुरादाबाद ■ अयोध्या ■ हल्द्वानी

माघ शुक्ल पक्ष तृतीया 02:47 उपरांत चतुर्थी विक्रम संवत 2082

बुधवार, 21 जनवरी 2026, वर्ष 7, अंक 58, पृष्ठ 12+4 ■ मूल्य 6 रुपये

मेरे भी बॉस : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन ने पदभार ग्रहण किया। मोदी ने इस मौके पर कहा– अब नितिन नबीन मेरे भी बॉस हैं। ● एजेंसी

पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नई दिल्ली में नितिन नबीन से मिलकर उन्हें बधाई और उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। योगी ने कहा, नितिन नबीन का कुशल नेतृत्व, गहरा संगठनात्मक अनुभव और दूरदर्शी सोच पार्टी को नई ऊर्जा और स्पष्ट दिशा प्रदान करेगी।

ट्रंप की धमकियों से सहमा बाजार... 9.86 लाख करोड़ डूबे

नई दिल्ली/मुंबई, एजेंसी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को आक्रामक हथियार बनाने और लगातार धमकियां देने का बड़ा असर मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार पर पड़ा। सेंसेक्स 1,065.71 अंकों की भारी गिरावट के साथ धड़ाम हो गया और निफ्टी भी 353 अंक टूट गया। इस भारी गिरावट से निवेशकों के 9.86 लाख करोड़ रुपये डूब गए।

ट्रंप की धमकियों से वैश्विक स्तर पर लगातार तनाव बढ़ने के कारण मंगलवार को शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली हुई। इससे सेंसेक्स में भारी गिरावट आई और वह 1.28 प्रतिशत फिसलकर 82,180.47 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 353 अंक यानी 1.38 प्रतिशत गिरकर 25,232.50 अंक पर बंद हुआ। कारोबारियों ने इस भारी गिरावट का कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार गिरावट जारी रहने को भी बताया। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने इस संकट को और गहरा कर दिया। बाजार में छोटी कंपनियों का बीएसई स्मालकैप सूचकांक 2.74 प्रतिशत और मझोली कंपनियों के मिडकैप सूचकांक में 2.52 प्रतिशत लुढ़क गया। बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार मूल्यांकन 9,86,093.96 करोड़ रुपये घटकर 4,55,82,683.29 करोड़ रुपये यानी 5.01 लाख करोड़ डॉलर रह गया। बीएसई पर सूचीबद्ध कुल 3,503 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई जबकि 780 शेयर चढ़कर बंद हुए और 119 अपरिवर्तित रहे।

● चौतरफा बिकवाली से सेंसेक्स 1,066 अंक लुढ़का, निफ्टी में भी 353 अंकों की भारी गिरावट

अमेरिकी प्रशासन की ओर से टैरिफ को विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में आक्रामक और अप्रत्याशित तरीके से इस्तेमाल किए जाने से वैश्विक बाजारों में बेचैनी बढ़ी है जो वित्तीय बाजारों में तेज उतार-चढ़ाव पैदा कर रही है। – पोनमुडी आर, सीईओ एनरिच मनी

चीन, जापान, कोरिया में भी भारी गिरावट यूरोप के बाजारों में भी मचा हाहाकार

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोप के बाजारों में कारोबार के दौरान एक प्रतिशत से अधिक की कमजोरी देखी गई। अमेरिकी बाजार सोमवार को अवकाश के कारण बंद रहे।

● शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 3,262.82 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,234.30 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

ब्रीफ न्यूज

दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप- 4 के प्रतिबंध हटे

नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार होने के बाद चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) के चौथे चरण के तहत लागू पाबंदियां हटा लीं। सीएक्यूएम ने एक आदेश में कहा कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण की पाबंदियां लागू रहेंगी। आदेश में कहा गया, ग्रैप के चौथे चरण की पाबंदियां हटा ली गई हैं। लोगों से अनुरोध है कि वे ग्रैप के पहले, दूसरे और चौथे चरण के तहत लागू पाबंदियों का सख्ती से पालन करें ताकि एक्यूआई और खराब न हो।

इजराइल ने यरुशलम में यूएन ऑफिस गिराया

यरुशलम। इजराइल के अधिकारियों ने पूर्वी यरुशलम में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय को बुलडोजर से गिराना शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी ने कहा कि इजराइली सेना ने कार्यालय के कर्मचारियों के उपकरण जब्त कर उन्हें शेख जर्राह इलाके में स्थित इमारत से जबरन बाहर निकाल दिया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, यह न केवल यूएनआरडब्ल्यूए और उसके परिसर पर अभूतपूर्व हमला है, अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी है। इजराइल यूएनआरडब्ल्यूए को फिलिस्तीन समर्थक कहकर निशाना साधता रहा है। उस पर हमास से संबंध रखने का भी आरोप लगाया है।

चुनाव से ऐन पहले केरल-तमिलनाडु में राज्यपाल और सरकारों में बढ़ा टकराव

तमिलनाडु में अभिभाषण पढ़े बगैर चले गए रवि, केरल में राज्यपाल ने छोड़े कई अंश

चेन्नई/तिरुवनंतपुरम, एजेंसी

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि मंगलवार को यह कहकर राज्य विधानसभा के इस साल के पहले सत्र में सदन में अभिभाषण पढ़े बिना बाहर चले गए कि द्रमुक सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण में बहुत सी गलतियां हैं। उधर, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी आरोप लगाया कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राज्य मंत्रिमंडल की ओर से अनुमोदित भाषण के कई हिस्सों को नहीं पढ़ा। दोनों राज्यों में इसी साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति एक बार फिर गरमा गई है।

राज्यपाल के सदन से जाने के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उनकी कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह नियमों, परंपराओं का उल्लंघन करते हुए एक बार फिर सदन से बाहर चले गए हैं। उनका व्यवहार उनके उच्च पद के अनुकूल नहीं है और सदन और उसकी गरिमा का भी अपमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 176 के अनुसार परंपरागत संबोधन राज्य सरकार तैयार करती है और इसे राज्यपाल द्वारा पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए।

चेन्नई में राज्यपाल के सदन से जाने के बाद एआईएडीएमके के विधायकों ने भी वाकआउट कर गए।

मेरा माइक बंद किया, राष्ट्रगान का हुआ अपमान: रवि

चेन्नई। विधानसभा में हुए घटनाक्रम के बाद लोकभवन ने बयान जारी कर दावा किया कि राज्यपाल आरएन रवि ने परंपरागत अभिभाषण पढ़ने से इसलिए इन्कार कर दिया, क्योंकि उसमें कई अप्रमाणित दावे और भ्रामक बयान शामिल थे। लोकभवन ने आरोप लगाया कि राष्ट्रगान का एक बार फिर अपमान किया गया। साथ ही, जनता को परेशान करने वाले कई मुद्दों को अनदेखा किया गया। राज्यपाल रवि परंपरागत अभिभाषण की शुरुआत में राष्ट्रगान बजाने की मांग कर रहे थे, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि परंपरा के अनुसार शुरुआत में तमिल थाई वाज़्थु और अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता है। लोकभवन की ओर से जारी 13 बिंदुओं वाले एक विवरण में यह भी आरोप लगाया गया कि राज्यपाल का माइक बार-बार बंद किया गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया।

अभिभाषण की अनिवार्यता हटे : मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी संविधान में संशोधन के माध्यम से उन प्रावधानों को हटाने का प्रयास करेगी, जिनमें वर्ष की शुरुआत में राज्यपाल के अभिभाषण को अनिवार्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव भी पेश किया जिसमें कहा गया कि सदन राज्यपाल के परंपरागत संबोधन न पढ़ने के व्यवहार को स्वीकार नहीं करता है।

राज्यपाल ने केंद्र की आलोचना वाले अहम हिस्से नहीं पढ़े: विजयन

तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा में मंगलवार को तब अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई जब मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सदन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के संबोधन के तुरंत बाद आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल की ओर से अनुमोदित नीतिगत भाषण को पूरी तरह नहीं पढ़ा। विजयन ने कहा कि छोड़े गए अंशों में भाजपा-शासित केंद्र सरकार की राजकोषीय नीति की आलोचना करने वाले हिस्से और राजभवन में लंबित विधेयकों से संबंधित संदर्भ शामिल थे। विजयन के अनुसार, राज्यपाल ने दस्तावेज के 12वें पैरा का शुरुआती हिस्सा और 15वें पैरा के अंतिम हिस्से को नहीं पढ़ा। इसके अलावा, 157 पैरा और 72 पृष्ठों वाले नीतिगत भाषण के 16वें पैरा में राज्यपाल ने एक पंक्ति जोड़ी। विजयन ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर नीतिगत संबोधन को ही आधिकारिक संस्करण के तौर पर स्वीकार किया जाए।

अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद कर्नाटक डीजीपी निलंबित

बेंगलुरु, एजेंसी

कर्नाटक सरकार ने डीजीपी के. रामचंद्र राव के महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सोमवार को कई समाचार चैनलों ने भी यह वीडियो प्रसारित किया जिसमें राव महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे थे। सरकार ने राव की कहीं आवाजाही पर भी रोक लगा दी है और बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने का आदेश दिया है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर) की ओर से जारी एक आधिकारिक आदेश में सरकार ने कहा कि टेलीविजन चैनल और डिजिटल मीडिया मंचों पर प्रसारित वीडियो और समाचार में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को अश्लील तरीके स व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। इस कारण उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया गया है।

आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार ने मामले की जांच की, जिसमें पाया गया कि अधिकारी का आचरण अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम-3 का उल्लंघन है। सरकार प्रथमदृष्टया इससे संतुष्ट है कि जांच होने तक राव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। उधर, राव ने वीडियो को मनगढ़ंत और झूठा बताया है।

● सरकार ने जांच पूरी होने तक मुख्यालय छोड़ने पर भी लगाई रोक

सोने की तस्करी में पकड़ी गई रान्या के सौतेले पिता हैं राव

राव कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ रान्या राव के सौतेले पिता हैं, जिस पर व्यवसायी तरुण राजू और आभूषण व्यापारी साहिल जैन से मिलकर 12.56 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का सोना अवैध तरीके से दुबई से भारत लाने की साजिश रचने का आरोप है। रान्या को तीन मार्च 2025 को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था और उसके पास से 14.8 किलोग्राम सोना बरामद किया गया था जो दुबई से तस्करी करके लाया गया था। रान्या फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है।

जांच में आरोपों की पुष्टि हुई तो बर्खास्त करेगी सरकार

कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा है कि महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो वायरल होने के मामले की जांच के बाद डीजीपी के. रामचंद्र राव को बर्खास्त भी किया जा सकता है। गृह मंत्री ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए निलंबन एक तात्कालिक कदम था। अब जांच होगी और जांच के बाद अन्य पहलुओं का भी पता चलेगा और उसके अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी।

पीलीभीत में नशेड़ियों के लिए बनाते थे नकली कफ सिरप, पकड़ी गई फैक्ट्री

कार्यालय संवाददाता, पीलीभीत

अमृत विचार : घुंघचाई इलाके में पुलिस ने नकली कफ सिरप की एक फैक्ट्री पकड़ने के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री में तैयार नकली सिरप नशा करने वाले युवाओं के साथ मेडिकल स्टोरों पर मरीजों को भी बेचा जाता था। पुलिस ने फैक्ट्री से अलग-अलग ब्रांड के नकली कफ सिरप की 375 शीशियों के साथ इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल और दूसरी सामग्री भी बरामद की हैं।

पुलिस के मुताबिक अवैध फैक्ट्री चलाने का मुख्य आरोपी सुरेश कुमार है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरेश कुमार झोलाछाप भी है और गांव में ही अवैध प्रैक्टिस भी करता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी करीब दो साल से फर्जी क्लिनिक की आड़ में यह फैक्ट्री चला रहा था। यहां टोपेक्स गोल्ड और क्योरेक्स-टी जैसे मशहूर ब्रांड के नकली कफ सिरप बनाकर बेचे जा रहे थे। पुलिस ने सुरेश कुमार को पूछताछ करने के बाद चालान कर जेल भेज दिया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरेश कुमार ज्यादातर नकली कफ सिरप की बिक्री नशा करने वाले युवाओं को बेचता था। उसके नकली कफ सिरप की ज्यादातर खपत शाहजहांपुर जिले के खुटार इलाके में होती थी।

अलग-अलग ब्रांड के नकली सिरप।

● 375 शीशियां, सिरप बनाने का सामान बरामद, एक गिरफ्तार

● दो साल से कर रहा था कारोबार मेडिकल स्टोरों पर भी थी खपत

यूट्यूब देखकर सीखा नकली सिरप बनाना

आरोपी ने बताया कि उसने यूट्यूब देखकर नकली कफ सिरप बनाना सीखा। पुलिस ने उसके ठिकाने से पांच पैकेट में 488 नई खाली शीशियां, 110 रैपर, 1939 ढक्कन, तीन स्प्रिट से भरी शीशियां, ऑरेंज फ्लेवर बरामद किया है। यह भी जांच की जा रही है कि नकली सिरप स्वास्थ्य के लिए घातक तो नहीं है।

घर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव मिले

सहारनपुर, एजेंसी

सहारनपुर जिले के सरसावा थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी से मंगलवार सुबह एक दंपती समेत परिवार के पांच लोगों के शव पुलिस ने बरामद किए हैं।

सहारनपुर के एसएसपी आशीष तिवारी के मुताबिक सुबह पुलिस को जानकारी मिली कि सरसावा की कौशिक विहार कॉलोनी में एक अमीन समेत परिवार के पांच सदस्यों के शव उन्हीं के मकान के एक कमरे में मिले हैं। मृतकों में अमीन के पद पर कार्यरत अशोक राठी (40), उसकी पत्नी अजिंता (37), मां विद्यावती (70), पुत्र कार्तिक (16) और देव (13) शामिल हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां अशोक राठी के शव की बगल में तीन लोडेड पिस्टल भी मिलीं। अशोक राठी सहित सभी के सिर पर गोली लगी थी जो बहुत पास से मारी गई थी। एसएसपी के मुताबिक पूरे क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज की जांच के साथ मामले की छानबीन की जा रही है। मौके से बरामद तीनों पिस्टल देसी हैं। वह लाइसेंसी हैं या नहीं, इसकी जांच कराई जा रही है।

एसएसपी ने बताया कि अशोक राठी को पिता की मौत के बाद मृतक आश्रित कोटे में अमीन की नौकरी मिली थी और वह नकुड़ तहसील में कार्यरत था। उसके दोनों बेटे दसवीं और 11वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। पुलिस ने अशोक राठी के घर को सील कर दिया है ताकि किसी भी स्तर पर जांच प्रभावित न हो पाए।

● सभी के सिर पर लगी थी गोली, मौके पर 3 लोडेड पिस्टल भी बरामद

युवराज की मौत मामले में बिल्डर गिरफ्तार

नोएडा, एजेंसी

नोएडा के सेक्टर 150 में पानी भरे गहरे गड्ढे में डूबकर 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में पुलिस ने मंगलवार को एमजेड विशटाउन प्रोजेक्ट के बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा प्राधिकरण के एक जेई को भी बर्खास्त कर दिया गया है।

पुलिस का कहना है कि घटना के समय इलाके में घना कोहरा था और दृश्यता बेहद कम थी। मौके पर न तो बैरिकेडिंग थी, न रिफ्लेक्टर और न ही कोई चेतावनी संकेत, जिससे खतरे का अंदाजा हो सके। इसी कारण युवराज की कार निर्माणाधीन साइट के पास बने पानी से भरे गहरे गड्ढे में जा गिरी। निर्माण स्थल पर सुरक्षा के इंतजाम न किए जाने पर पुलिस ने एमजे विशटाउन के बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया है। साथ ही निर्माण कंपनी एम जेड विशटाउन प्लानर्स और लोटस ग्रेंस कंस्ट्रक्शन के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या व सदोष मानव हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उधर, नोएडा प्राधिकरण ने एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया है, कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मेरठ के एडीजी भानु भास्कर की अगुवाई में पुलिस-प्रशासन की संयुक्त टीम साइट पर सुरक्षा उपायों की कमी, मानकों के उल्लंघन और जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका की गहन जांच कर रही है।

● नोएडा प्राधिकरण का एक जेई भी बर्खास्त, कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

अविमुक्तेश्वरानंद से प्रशासन ने शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा

प्रयागराज। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का हवाला देते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस जारी कर 24 घंटे में ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा है। जवाब में उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य वह है जिसे बाकी तीन पीठों के शंकराचार्य मान्यता देते हैं।

उन्होंने दावा किया है कि बाकी दो पीठ द्वारका पीठ और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य उन्हें शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में उनके साथ स्नान भी कर चुके हैं। जब दोनों शंकराचार्य यह कह रहे हैं कि वह शंकराचार्य हैं तो और किस प्रमाण की आवश्यकता है कि वह शंकराचार्य हैं कि नहीं। उन्होंने कहा, क्या अब प्रशासन तय करेगा कि वह शंकराचार्य हैं कि नहीं।

फैसला | सुप्रीम कोर्ट ने कहा– केस दर्ज कर आरोपपत्र भी कर सकती है दाखिल, सीबीआई की पूर्वानुमति की भी जरूरत नहीं

केंद्रीय कर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर सकती है राज्य पुलिस

नई दिल्ली, एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में व्यवस्था दी कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के अपराधों के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत राज्य पुलिस के अधिकारी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर आरोप पत्र दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि राज्य पुलिस को केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले सीबीआई की पूर्व अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जांच राज्य एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी या कोई भी पुलिस एजेंसी इस शर्त के साथ कर सकती है कि पुलिस अधिकारी विशेष रैंक का हो। पीठ ने अधिनियम की धारा 17 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह धारा राज्य पुलिस या राज्य की किसी विशेष एजेंसी को केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और कदाचार से संबंधी मामलों को दर्ज करने या जांच करने से नहीं रोकती है। पीठ ने कहा, सुविधा और काम के दोहराव से बचने के लिए सीबीआई को केंद्र के कर्मचारियों के खिलाफ जांच का जिम्मा सौंपा गया है। इसी तरह राज्य के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने जिम्मेदारी है।

आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी का बयान अवमानना

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अपने आदेशों की आलोचना करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने अदालत की अवमानना की है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उदारता के कारण वह पूर्व मंत्री के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं कर रही है। न्यायमूर्ति मेहता ने मेनका के वकील से पूछा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के रूप में मेनका गांधी ने आवारा कुत्तों की समस्या को खत्म करने के लिए बजट में आवंटन कराने में क्या मदद की। पीठ ने कहा कि कुत्तों को खाना देने वालों को जवाबदेह ठहराने के संबंध में उसकी टिप्पणी व्यंग्य नहीं, बल्कि गंभीर थी। अदालत ने 13 जनवरी को कहा था कि वह राज्यों को कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए भारी मुआवजा देने को कहेगी और ऐसे मामलों के लिए कुत्तों को खाना देने वालों को जवाबदेह ठहराएगी।

समाचारपत्रों को नहीं रोक सकते निर्बाध चलेंगी पंजाब केसरी की प्रेस

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि ''समाचारपत्रों को रोका नहीं जा सकता'' पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह पंजाब केसरी अखबार के प्रकाशन के खिलाफ कोई कदम न उठाए। कोर्ट ने मौखिक उल्लेख के बाद समाचारपत्र समूह की याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि हिंदी दैनिक के प्रिंटिंग प्रेस निर्बाध रूप से काम करते रहेंगे। सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने कहा कि समाचार पत्र समूह की याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसला सुनाए जाने के बाद भी उसका अंतरिम आदेश एक सप्ताह तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले समाचार पत्र समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इसे असाधारण मामला बताते हुए आरोप लगाया कि पंजाब सरकार के खिलाफ समाचारों के बाद राज्य ने उत्पीड़न का अभियान शुरू कर दिया।